(144)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 15/2015–16

नीरू रूज एवं अन्य .... अपीलकर्ता

बनाम

चाना बास्की एवं अन्य .... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

08/04/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 15/2015–16 नीरू रूज एवं अन्य बनाम् चाना बास्की एवं अन्य, मौजा मुड़जोरा अंचल दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के ई0ई0 वाद सं0 70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 के विरुद्ध दायर किया गया है।

सुनवाई के दौरान उभय पक्षों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया गया किन्तु कोई भी पक्षों द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता गण मौजा मुड़जोरा के जमाबन्दी सं0 101के जमाबन्दी रैयत के उत्तराधिकारी एवं वंशज है। उन्होंने निम्न न्यायालय में दाग सं0 236 रकवा 17 डीसमल जमींन से उत्तरकारियों को उच्छेदित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारियों को प्रश्नगत दाग से यह कहकर उच्छेदित नहीं किया गया कि उत्तरकारीगण मसानजोर डैम के विस्थापित रैयत है एवं उक्त जमींन पर उन्हें एम0आर0ओ0 के तहत् पट्टा मिला है। यह पट्टा उन्हें एम0आर0ओ0 दुमका के Resettlement Case No- 47/59 के द्वारा प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी को प्रश्नगत दाग में एम0आर0ओ0 द्वारा पट्टा मिला है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत जमींन से उन्हें उच्छेदित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।